उत्तर प्रदेश शासन

महिला कल्याण अनुभाग-1

संख्या-49/2023/1457/60-1-2023

लखनऊ::दिनांक:: 17 नवम्बर, 2023

कार्यालय-आदेश

प्रदेश में मिशन वात्सल्य योजना के अन्तर्गत संचालित गृहों में बाल सहायक वातावरण विकसित करने, देखभाल के न्यूनतम मानकों की निगरानी तथा संस्थागत परिस्थितियों को आवासित बच्चों के अनुकूल बनाने हेतु आवश्यक है कि विभाग द्वारा मिशन मोड में कार्य किया जाय। समय-समय पर हुए निरीक्षण में राजकीय एवं स्वैच्छिक संस्थाओं के संचालन में भवनों की उपयुक्ता, साफ-सफाई, सुरक्षा, पर्याप्त स्थान का अभाव, शिक्षा, प्रशिक्षण की कमी, सी0सी0टी0वी0 कैमरों की कार्यशीलता, फर्नीचर की उपलब्धता, वस्त्र, बिस्तर आदि से सम्बन्धित कमियां एवं समस्याएं प्रकाश में आयीं हैं। मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित जनहित याचिका संख्या-2495/2023 SUO MOTO बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित आदेश दिनांक 19.10.2023 द्वारा भी प्रदेश में सचालित बाल देखरेख संस्थाओं में उपयुक्त स्थान यथा-खेलकूद, योगा आदि के अभाव की स्थिति पर संवेदनशील टिप्पणी करते हुए बाल देख-रेख संस्थाओं को उपयुक्त भवनों में स्थानान्तरित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

2- विभाग के अधीन राजकीय एवं स्वैच्छिक संगठनों द्वारा संचालित संस्थाओं का नियमित निरीक्षण अत्यन्त आवश्यक है। राजकीय एवं स्वैच्छिक गृहों का संचालन मिशन वात्सल्य योजना के अनुरूप शासन/भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुक्रम में मानकों के अनुसार किया जा रहा है अथवा नहीं, के संबंध में संस्थाओं का निरीक्षण मण्डलवार निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा तत्काल तथा उसके उपरान्त प्रत्येक माह पर किये जायेंगे :-

क्रमांक	अधिकारी का नाम तथा पदनाम	मण्डल का नाम
1.	श्रीमती अनामिका सिंह, सचिव, महिला कल्याण तथा बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग, उ0प्र0 शासन।	प्रयागराज
2.	श्रीमती संदीप कौर, निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।	बरेली
3.	श्री बी0एस0 निरंजन, उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी, निदेशालय महिला कल्याण।	मुरादाबाद

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4.	श्री आशुतोष कुमार सिंह, उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी, निदेशालय महिला कल्याण।	मेरठ
5.	श्री ओंकार नाथ यादव, उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी, निदेशालय महिला कल्याण।	वाराणसी
6.	श्री प्रवीण कुमार त्रिपाठी, उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी, लखनऊ मण्डल।	लखनऊ
7.	श्री पुनीत कुमार मिश्र, उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी, निदेशालय महिला कल्याण।	कानपुर
8.	श्री महावीर प्रसाद गौतम, विशेष सचिव, महिला कल्याण तथा बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग।	विन्ध्याचल
9.	श्रीमती अर्चना गहरवार, सदस्य सचिव, उ0प्र0 राज्य महिला आयोग।	झांसी
10.	श्रीमती आकांक्षा अग्रवाल, मुख्य परिवीक्षा अधिकारी निदेशालय महिला कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।	गोरखपुर
11.	श्रीमती अनु सिंह, उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी, निदेशालय महिला कल्याण।	आगरा
12.	श्रीमती प्रेमवती, संयुक्त निदेशक, निदेशालय महिला कल्याण।	देवीपाटन

3- निरीक्षण बिन्दु तथा राजकीय एवं अनुदानित तथा गैर अनुदानित स्वैच्छिक संस्थाओं की सूची संलग्न है। उपरोक्त अधिकारियों द्वारा संलग्न बिन्दुओं पर **दिनांक 18.11.2023 से दिनांक 22.11.2023 तक** फील्ड के अधिकारियों से सम्पर्क कर संस्थाओं की जॉच करते हुये निरीक्षण रिपोर्ट **दिनांक 23.11.2023 के सांय तक** निदेशक, महिला कल्याण की **ई-मेल आई0डी0-directormahilakalyan@gmail.com** पर उपलब्ध करायी जाय तथा निदेशक, महिला कल्याण द्वारा उक्त जॉच आख्याओं को समेकित रूप से परीक्षण कर सूचना तत्काल शासन को उपलब्ध करायी जाय।

संलग्नक-यथोक्त।

वीना कुमारी
प्रमुख सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या एवं दिनांक यथोक्त ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।

2- सचिव/निदेशक, महिला कल्याण को इस निर्देश के साथ कि उनके द्वारा आवंटित मण्डल के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर भी नियमानुसार निरीक्षण किया जायेगा।

3- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।

4- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

5- समस्त उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी, उ0प्र0।

6- समस्त जिला प्रोबेशन अधिकारी, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ कि निरीक्षण के समय संस्थाओं के पूर्ण विवरण के साथ उपस्थित होकर निरीक्षण में पूर्ण सहयोग किया जाय।

7- गार्ड फाइल।

(महावीर प्रसाद गौतम)
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

राजकीय एवं स्वैच्छिक संगठनों द्वारा संचालित संस्थाओं के निरीक्षण संबंधी एजेण्डा बिन्दु

1- संस्था के भवन की स्थिति (निजी अथवा किराये का भवन)

2- एन0जी0ओ0 द्वारा संचालित गृहों के संचालक/रजिस्ट्रेशन संख्या एवं संचालन की तिथि/आय के स्रोत/आवासित बच्चों हेतु सक्षम स्तर (सी0डब्ल्यू0सी0) से पारित आदेश।

3- संस्था की स्वीकृत क्षमता के सापेक्ष निवासरत किशोर/किशोरियों की संख्या (आधार कार्ड सहित) और आवासन के अनुरूप आश्रय कक्ष, भोजन कक्ष, मनोरंजन कक्ष, शिक्षण कक्ष तथा खेलकूद तथा अन्य गतिविधियों के दृष्टिगत स्थान तथा संसाधनों की उपलब्धता और स्थिति।

4- संस्था में आवासित बच्चों को उपलब्ध कराये जा रहे भोजन की गुणवत्ता एवं भण्डारण गृह की स्थिति।

5- संस्थाओं के भवनों में वैनटिलेशन व सुरक्षाकर्मी/चैकीदार का प्रबंध।

6- संस्था के प्रवेश/एक्जिट द्वार सहित मनोरंजन कक्ष, शिक्षण कक्ष, लॉबी, रसोई घर इत्यादि में सी0सी0टी0वी0 कैमरों के संचालन की स्थिति।

7- संस्था में आवासित बच्चों हेतु व्यक्तिगत देखरेख योजना (Individual Care Plan) बनाये जाने की स्थिति।

8- संस्था में निवासरत बच्चों के स्कूलों में नामांकन तथा विद्यालय में शिक्षारत होने की स्थिति तथा शिक्षारत नहीं होने के कारण।

9- संस्था में निवासरत बच्चों के कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम में पंजीकरण की स्थिति।

10- संस्था में मानकों के अनुरूप कार्यरत कार्मिकों का विवरण।

11- छोटे-मोटे अपराधों (Petty Crimes) में राजकीय सम्प्रेक्षण गृहों में निवासरत किशोर/किशोरियों की संख्या व उनके आपराधिक वाद की स्थिति।

12- छः माह से अधिक समय से निवासरत बच्चों के घर न जा पाने के कारणों की समीक्षा व संक्षिप्त रिपोर्ट।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in